



# लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ०प्र०—२२६००७

Web. : [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in), E-mail : [registrar@lkouniv.ac.in](mailto:registrar@lkouniv.ac.in), Phon/Fax : ०५२२-२७४०४१२

संदर्भ संख्या : ..... / सम्बद्धता / २०१८

दिनांक :

ई-मेल / रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिगत

## कार्यालय-ज्ञाप

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्न महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी०ए८० पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता ३० जून, २०१९ को समाप्त होने जा रही है, के सम्बन्ध में सूच्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उ०प्र० शासन द्वारा २८ फरवरी तक निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने एवं १० मई, तक बी०ए८० पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि पूर्व से निर्धारित है :—

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
१.	ए८०ए८०वाई० डिग्री कालेज, उत्तरगांव, मोहनलालगंज, लखनऊ
२.	सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान, ग्राम नीवा, गोमौरा एयरवेस के सामने, सरोजनी नगर, लखनऊ
३.	स्वतंत्र गल्से डिग्री कालेज, स्नेह नगर, आलमबाग, लखनऊ
४.	बासुदेव डिग्री कालेज, अमराइ गैव, इन्दिरा नगर, लखनऊ
५.	टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, फैजाबाद रोड, लखनऊ
६.	राम प्रसाद विसिमिल, डिग्री कालेज, काकोरी, लखनऊ।
७.	अकबरी बैगम कालेज ऑफ एजूकेशन, गनेशपुर, रहमानपुर, लखनऊ
८.	सुरजन देवी अनुसुइया देवी डिग्री कालेज, गगागंज, लखनऊ।
९.	सिटी वोमेन्स कालेज, जानकीपुरम विस्तार, अलीगंज, लखनऊ
१०.	सिटी गल्स कालेज, रतन खण्ड, शारदा नगर, लखनऊ
११.	श्री कृष्ण दत्त एकेडमी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ
१२.	सिटी कालेज, उत्तरधौना, तिवारीगंज, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ
१३.	यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, बाघामऊ, लखनऊ।
१४.	गया प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस, फिरोजपुर, मलिहाबाद रेलवे स्टेशन, मलिहाबाद, लखनऊ।
१५.	माडर्न कालेज ऑफ एजूकेशन, कुरोनी, विजनोर, लखनऊ
१६.	टी०डी०ए८० कालेज ऑफ इंजिनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइरजन, कासिमपुर विरुआ गोसाईगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।

उल्लेखनीय है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक १९.०६.२०१७ द्वारा निर्णय पारित किय गये हैं कि—“किसी भी महाविद्यालय को तीन वर्ष के अन्तर्गत स्थायी सहयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तीन वर्ष के निर्धारित अवधि के अन्दर स्थायी सहयुक्तता प्राप्त न करने पर एक वर्ष का समय अतिरिक्त दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है एवं स्थायी सहयुक्तता नहीं प्राप्त कर पाता है तो प्रतिवर्ष एक लाख रु० ०५ अर्थदण्ड के साथ तीन वर्ष का समय और प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की सहयुक्तता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।”

अतः सहमत हों तो उपरोक्त बी०ए८० महाविद्यालयों को निर्देशित कर दिया जाय कि उपरोक्तानुसार—“आगामी शिक्षण सत्र २०१९-२० से स्थायी सहयुक्तता (पिनके तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो चुके हैं) हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या अथवा पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता को २०१९-२० के लिए विस्तरण प्रदान किये जाने हेतु समस्त कमियों के निस्तारणोपरान्त सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में ३१.०१.२०१९ तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बी०ए८० पाठ्यक्रम में रात्र २०१९-२० से बी०ए८० पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित समझा जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय रवयं उत्तरदायी होगा।”

(एस०के० शुक्ल)  
कुल सचिव

संख्या : R/३१३८-५। - दिनांक : ०६/१२/१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक बनार्ही हेतु प्रेषित :—

- सचिव कुलपति को मात्र कुलपति जी के आवश्यकार्थ।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, लाभव।
- इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल०पि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त सहयुक्त बी०ए८० महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रबन्धक, समस्त बी०ए८० सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
- गार्ड फाईल।

रणजीत यादव  
उप कलसचिव (सम्ब.)